(17)

R. 2550/II/14

रिवीजन प्रकरण क्रमांक :   / 2014

लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धनजीराम किरार, निवासी–सकतपुर, तहसील राधौगंढ़, जिला गुना। ———आवेदक

आज दिनांक 12-8-14 को श्री के० अग्रवाल अभि० द्वारा प्रस्तुत।
12-8-14

विरूद्ध

1 प्रताप सिंह पुत्र रामचरण किरार,

2 लाल सिंह पुत्र रामचरण किरार, निवासीगण–सकतपुर, तहसील राधौगंढ़, जिला गुना।

———अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.2550–दो / 2014 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–08–2014	संबंधित पीठासीन अधिकारी के प्रवास पर होने से आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण मेरे समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ । आवेदक अधिवक्ता श्री ए0के0अग्रवाल उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राधौगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–14 का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई । 2– तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया है जो उचित नहीं है । न्यायहित में आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु एक और अवसर प्रदान करना चाहिये । तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रकरण का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर किया जाता है कि प्रकरण में आवेदकगण को जबाव प्रस्तुत करने का एक अवसर और दिया जाये । प्रशासकीय सदस्य	